राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार–2018

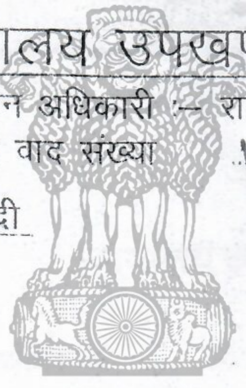

Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी,(नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– शमसुख गुर्जर RAS

राजस्व वाद संख्या 162/18 कैम्प ग्राम पंचायत सरगोठ

वादी बनाम प्रतिवादीगण,

वाद पत्र धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनॉक :– 7/6/18

वादी के वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी श्री प्रकाश पुत्र रामचन्द्र जाति गुर्जर निवासी गिरिडा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर का रहने वाला है,वादी का नाम ग्राम गिरिडा के खाता सख्या/खसरा नम्बर 20,23,150/19 में श्री छोडूराम पुत्र रामचन्द्र जाति गुर्जर अंकित हो गया है, जो सही नही है। राशनकार्ड/ पहचान पत्र/आधार कार्ड मे सही नाम प्रकाश पुत्र रामचन्द्र है, इसलिए उक्त खाता में गलत नाम हटाकर सही नाम का रेकार्ड में दुरूस्ती करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी की गई। कि वादी के वाद पत्र में अंकित तथ्यो की जांच कर रिपोर्ट कैम्प सरगोठ में पेश करे। पत्रावली केम्प सरगोठ में पेश हुई । तहसीलदार की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर शामिल मिसल की गई। वादी ने अपने नाम का रेकर्ड में दुरूस्ती हेतु कैम्प सरगोठ मे दस्तावेज पेश किये ,जो शामिल मिसल किये । कैम्प में उपस्थित मौतबरान से पूछताछ व वादी के वाद पत्र के संलग्न दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन एवं मनन करने पर वादी का वाद काबिल स्वीकार होने से कैम्प में ही स्वीकार कर आदेश निम्न प्रकार पारित किया गया।

आदेश

ग्राम गिरिडा तहसील कुचामनसिटी के खाता संख्या/खसरा नम्बर 20,23,150/19 में वादी श्री छोडूराम पुत्र रामचन्द्र गुर्जर निवासी गुर्जर गिरिडा की जगह वादी का सही नाम प्रकाश पुत्र रामचन्द्र जाति गुर्जर निवासी गिरिडा दुरूस्त किया जाता है, शेष खाता बदस्तूर रहेगा । डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे । राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो , मिसल नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनॉक 7/6/18 को सरे आम कैम्प सरगोठ में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)